न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 01/2023(जी.सी.एम.एस.2024/33)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. विक्रम सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति नाई सिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. निरवैर सिंह पुत्र कपलजीत सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 4. भगवन्त सिंह पुत्र दलजीत सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 5. वीरपाल कौर पुत्री दलजीत सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखपाल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखवन्त सिंह पुत्र दलजीत सिंह जाति जर्टसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7

तारीख रजू:–05.01.2023

––निर्णय–– दिनांक : 04.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/33 के मुरब्बा नम्बर 21, 42, 55, 59/27 की कुल 12.334 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के नाम 3.084 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में उक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 16, 19, 20 की भूमि चली आ रही है। चक 10 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 50/34 के मुरब्बा नम्बर 27, 54, 59/31 की कुल 3.656 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 55/14 के संयुक्त खाता में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 141/1847 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी को अपने चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 16, 19, 20 की भूमि को काश्त करने के लिए गांव की आबादी से होते हुए मुरब्बा नम्बर 54 के साथ चिपते पूर्वी दिशा के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रही सरकारी सडक से होते हुए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में होते हुए अपनी भूमि में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त करता है। उक्त रास्ता पिछले करीब 25-30 वर्षो से चला आ रहा है, जो आज भी मौका पर चालू है। उक्त मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। उक्त चल रहे रास्ता को मंजूर करवाये जाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा तो अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा रास्ता मंजूर किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।
3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/505 दिनांक 03.06.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक लखियां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक लखियां व पटवारी हलका लखियां द्वारा चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 22, 42, 54, 55 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 16, 19, 20 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यावहारिक है व मौका पर चालु है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करने हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 55 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 55 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.01265-0.01265 हैक्टेयर भूमि कुल 0.0253 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की कुल 0.0253 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

ईमेल-sdo.srikaranpur...

दूरभाष न0:- 01501226005

दिनांक :- 04.09.2024

क्रमांक :- रीडर/2024/503

तहसीलदार (राजस्व),

श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 01/2023 अनवान विक्रम सिंह बनाम ज्ञान सिंह अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 04.09.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.01265-0.01265 हैक्टेयर भूमि कुल 0.06325 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की कुल 0.06325 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते